



प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सतना (म.प्र.)

विषय :- वर्ष 2020 में अर्जित अचल सम्पत्ति संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने बावत् ।

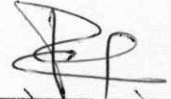
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 2035 दिनांक 15.02.2021 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में वर्ष 2020 में अर्जित अचल सम्पत्ति का विवरण संलग्न प्रपत्र में भरकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

दिनांक 18.02.2021 ।


(चन्द्रशेखर पटेल)
भृत्य
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सतना (म.प्र.)

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2020



- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम उस सेवा का नाम जिसमे वह हो – चन्द्रशेखर पटेल म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतना
- 2 वर्तमान धारित पद – भृत्य
- 3 वर्तमान वेतन 26600 + डी.ए. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई – 2021

1	2	3	4	5	6	7	8
उस जिले, उप संभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन						
ग्राम छैरहा, पोस्ट इटमा कोठार, तहसील अमरपाटन जिला सतना (म.प्र.)	10 कमरा मकान	कृषि भूमि 2.5 एकड़ कृषि भूमि 45 एकड़	25 लॉख लगभग 4 करोड़ 50 लॉख	स्वयं पिता जी एवं समिलित भाईयों	पैत्रिक समत्ति पैत्रिक समत्ति	25000.00 4 लॉख	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।

सहायक अधिकारी/प्रयो.शा. प्रभारी/मुख्य रसायनज्ञ/सहा. यंत्री/कनि. वैज्ञानिक/तकनीकी/रसायनज्ञ I, II, III/प्रयो. सहा./प्रयो. परि./लेख/स्थापना/जल उपकरण/जैव अपशिष्ट/खतरनाक/बैटरी/प्लास्टिक/लीमल/एम.एस.डब्ल्यू.

समय सीमा.....दिन
प्रत्येक प्रति उत्तर/प्रस्तुती समय सीमा में करें

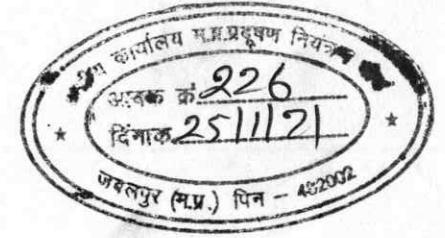
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही – सही निर्धारण करना संभव न हो वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये ।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल है ।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम ।

हस्ताक्षर

नाम :- चन्द्रशेखर पटेल

पद :- भृत्य



फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो अजय सिंह बघेल
2. वर्तमान धारित पद स्टाफ
3. वर्तमान वेतन 26,600/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई-21

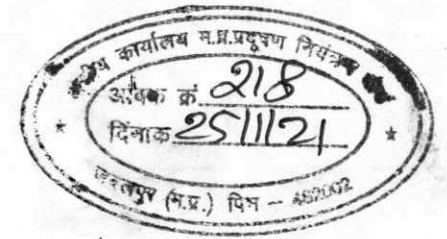
(1) उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा व्योरे गृह तथा अन्य भयन	(3) सूचि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	7 संपत्ति से वार्षिक आय	8 अभ्युक्ति

- * जहाँ जागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे भाषाते में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह नहीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा खरीद या अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर अजय सिंह बघेल
नाम अजय सिंह बघेल
पद स्टाफ

फार्म



अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2021

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो तिलक राज सिंह
2. वर्तमान धारित पद भूय
3. वर्तमान वेतन 26600 + अन्य भत्ते आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2021

(1) उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे	(3) गृह तथा अन्य भवन	(4) भूमि	(5) ** वर्तमान मूल्य	(6) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(7) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	8 संपत्ति से वार्षिक आय	9 अभ्युक्ति
जिला - जबलपुर ग्राम - कुड़वारी 840 स्क्वायर फिट अगस्त 2018 में लिखा गया।	—	आवासीय प्लॉट	अनुमानित	स्वयं	बैंक से पर्सनल लोन के द्वारा	नहीं	—	—

- * जहाँ जागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

तिलक राज सिंह

नाम

भूय

पद

भूय

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2021



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो श्री कमलेश तिवारी मध्यप्रदेश निगम जयलपुर
 2. वर्तमान धारित पद मुख्य
 3. वर्तमान वेतन 26600 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई (5005)

(1) उस जिले, उप सभाग, तहसीला तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे	(3) गृह तथा अन्य भवन	(4) भूमि	(5) ** वर्तमान मूल्य	(6) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(7) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	8 संपत्ति से वार्षिक आय	9 अभ्युक्ति
ग्राम-सौर 568 पो-दोहा जिला-बीवा मध्यप्र	50 टिलकित			4000000	स्वयं	दिया गया		

* जहाँ जागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उरो विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

(Signature)

हस्ताक्षर श्री कमलेश तिवारी
 नाम श्री कमलेश तिवारी
 पद मुख्य

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो वृजेश कुमार पटेल मंत्रालय प्रमुख निम्नलिखित बोर्ड सागर
2. वर्तमान धारित पद मूल्य
3. वर्तमान वेतन 26600 + DA आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2021

(1) उस जिले, उप संगम, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे	(3) गृह तथा अन्य भवन	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	7 संपत्ति से वार्षिक आय	8 अवधि
① शाहपुरचनी रातीवण गोमुख विहार बोलेली नोपाल	प्लॉट	30X40 1200 वर्ग फिट	300000 लाख	वृजेश कुमार पटेल	पंजाब नेशनल बैंक नोपाल से लेन लेव्ट		
② शाहपुरचनी सुनरी वाई नगर पालिका मन्डरोनिया	प्लॉट	20X40 = 800 वर्ग फिट	240000 दो लाख चालीस हजार	वृजेश कुमार पटेल श्रीमती निता पटेल पत्नी	इलाहाबाद बैंक सागर सिधवा सागर से लेन लेव्ट		

जहाँ जायू न हो काट दीजिए।

* * * * * एरो मानले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना सम्भव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

* * * * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

B.K.

नाम

वृजेश कुमार पटेल

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो गुला वर
2. वर्तमान धारित पद भूतम
3. वर्तमान वेतन 28800 + अ-मकते आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01/7/2021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
निरंक							

ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये। इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : राज्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा जहाँ तक अर्जित अथवा जहाँ बिरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर . . .

नाम

पद

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो सतीश कुमार वालकी
 2. वर्तमान धारित पद डीपी
 3. वर्तमान वेतन 26600-2800 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
मध्य प्रदेश गल्ली नं 2 सतना 8.9.20	3 पक्के मकान लगे कुल 39x25	10 बीघे	10 बीघे	लघुम के नाम 39x25	निक	निक	

- * जहाँ जागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उनसे अर्जित अथवा तब विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर
 नाम सतीश कुमार वालकी
 पद (डीपी)

लकने में

श्रीमान श्रीजीय अरिजित बहो
भा.प्र. प्रहसन नोड सल्ला
(छा.प्र.)



विषय - वर्ष 2020 में अर्जित अचल संपत्ति की जानकारी वक्त
लकने - श्री. छा. प्र. नोड का फरवरी 2021 दिनांक 15/2/21

महोदय

छा.प्र. विषय के निर्देश हैं कि प्रत्येक
दूसरा छा.प्र. नोड की जानकारी प्रोफेशनल को देकर
अर्जित वक्त बहो है प्रेषित है

दिनांक
19/2/21

प्रत्येक
लकने का
लकने का
लकने का

भा.प्र. प्रहसन नोड
सल्ला

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2021

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो श्रीमती संगीता मेवाड़ा
2. वर्तमान धारित पद सूच्य
3. वर्तमान वेतन 16500/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2021

(1) उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा व्योरा गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	7 संपत्ति से वार्षिक आय	8 अभ्युक्ति
31/12/2020 की स्थिति में कोई भी अचल संपत्ति छूट नहीं की गई।							

जहाँ जागू न हो काट दीजिए।

- * * * ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- * * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : राज्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह अपने
में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उनसे
अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

दिनांक 12.1.2021

हस्ताक्षर

नाम

पद

संगीता मेवाड़ा
सूच्य

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो वन्दना रजत मृत्य
 2. वर्तमान धारित पद मृत्य
 3. वर्तमान वेतन 16500+5A आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जनवरी-21

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संभाग, तल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया*** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
				निरंत			

*जहां लागू न हो काट दीजिए।

**ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

***इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल है।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1969 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसके स्वत्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम।

हस्ताक्षर Majals

नाम वन्दना रजत

पद मृत्य

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2019

अध्यापक / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह है
 वर्तमान धारित पद **भृत्य**
 वर्तमान वेतन: **16500 + अन्य भत्ते** भागीसी वेतनवृद्धि की तारीख

अनीता नामदेव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर
01/07/2000:

01/07/2021

101 < 102

19/5

हस्ताक्षर

Aneta

नाम

अनीता नामदेव

५८

भृत्य

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो कु. माधुरी अम्बुलकर
2. वर्तमान धारित पद डी.डी.ओ.
3. वर्तमान वेतन 16500+3200 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2021

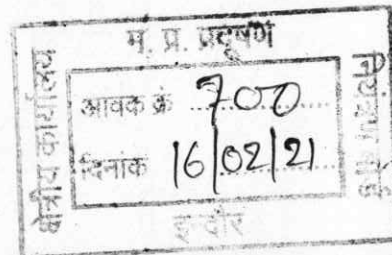
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संभाग, तल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया*** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
निरंक							

*जहां लागू न हो काट दीजिए।

**ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

***इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल है।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1969 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसका अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम।



हस्ताक्षर Ambulker
 नाम कु. माधुरी अम्बुलकर
 पद डी.डी.ओ.

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो रामा मिट्टा धुर्व के काम फ्रैक्चर नि. 01 ई कहली
 2. वर्तमान धारित पद अध्यक्ष चौकदार
 3. वर्तमान वेतन 1600/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	अ
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
ग्राम पंचायत अवधिया वि. बबू मेहतावाली तहसील धादपुरा जिला डिंडौर	—	निरंक	—	निरंक	निरंक	निरंक	

- जहाँ जागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : राज्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह
 में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उनके
 अर्जित अथवा उरो विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हरताक्षर

नाम

पद

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो डॉ० आरती मारवा, दार्शनिक विभाग, एम० ए०, एम० एड०, एम० एल०
2. वर्तमान धारित पद भूतय
3. वर्तमान वेतन 16,500 + अन्य भत्ते आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2021

[illegible]

जहाँ जागू न हो काट दीजिए ।
 ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये ।
 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं ।

टिप्पणी : राज्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उनके अर्जित अथवा उरो बिरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर *Naute*
नाम कु. भारती भारती
पद भूष्य

∴ फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो अशोक जीवास्ती
2. वर्तमान धारित पद ग्रुप
3. वर्तमान वेतन 15500/- PM आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

[illegible]

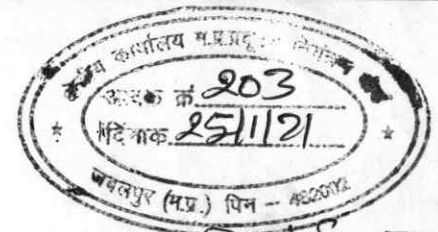
जहाँ जागू न हो काट दीजिए ।
ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये ।
इसमें अल्पकालीन प्रदूद भी शामिल हैं ।

टिप्पणी : राज्य शासकीय सेवक (आवर्ण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उनके परिवार के सदस्यों के नाम

हस्ताक्षर . . .

नाम : अंशुदत्त जीवाह्लाव

पद. अंश / का 6 था।



फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो अर्जुन सिंह मृत्यु (वाहन चालक मण्डलपुर निवासी)
2. वर्तमान धारित पद मृत्यु
3. वर्तमान वेतन 18,000=00 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई 21

(1) उस जिले, उप सभाग, तहसीला तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	7 संपत्ति से वार्षिक आय	8 अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
ग्राम-पो. = जज नडहरा जिला = मोजपुर (आरा) थाता = खोहमा (बिहार)	पैतृक कुंठ जमीन पिता के नाम से है सिसे मैं भूमि मालिक हूँ।	1 किाहा		पूविज के नाम पर पिता के नाम से है हिससे मैं भूमि मालिक हूँ।	स्व. - श्री नारकेश्वर सिंह पिता किसान भूमि मालिक 19/11		

- * जहाँ जागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही विधारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उन्हें प्राप्त अर्जित अथवा उरो विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम

पद

अर्जुन सिंह

मृत्यु (वाहन चालक)

मृत्यु (वाहन चालक)

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो अख्तराज जोशी (इ. १०/४/१९५२)

2. वर्तमान धारित पद अ. ५५ -

3. वर्तमान वेतन ११५०० + १५०० आगामी वेतनवृद्धि की तारीख

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संभाग, तल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया*** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति

*जहां लागू न हो काट दीजिए ।

*ऐसे मामलों में जहाँ मुख्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति को सर्वोत्तम में लगभग मुख्य बताया जाये।

***इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल है।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1969 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम।

हस्ताक्षर मकर 17/5/2021

नाम..... श्रीवरुणलाल जोशी

पद ४८५

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20 21

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो राजेश कौरी
2. वर्तमान धारित पद मूल्म
3. वर्तमान वेतन 167500/17 दि आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप सभाग तहसीला तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अवसुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
शून्य							

जहाँ जागू न हो काट दीजिए।

* * * * * (ए) मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

* * * * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

विशेषी : राज्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का संपत्ति अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

राजेश कौरी

नाम

राजेश कौरी

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20 -21

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो रूपसिंह ठाकुर मल्ल
2. वर्तमान धारित पद मल्ल
3. वर्तमान वेतन 30700 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जनवरी

(1) उस जिले, उप संगम, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	7 संपत्ति से वार्षिक आय	8 अवधि
	गृह तथा अन्य भवन						
<u>रूपसिंह ठाकुर</u>							

- * जहाँ जागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

निर्माणाधीन शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह अपने पहले नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर Rup Singh

नाम Rup Singh Mal

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2021

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो रामरतन सागर M. P. P. C. B. S. Agay
 2. वर्तमान धारित पद यूएच
 3. वर्तमान वेतन 30700 + D.A. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जनवरी 2021

(1) उस जिले, उप संगम, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे	(3) गृह तथा अन्य भवन	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	7 संपत्ति से वार्षिक आय	8 अवधि
रामरतन सागर							

- * जहाँ जागू न हो काट दीजिए ।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

नियमावली-कन्याप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का क्या संपत्ति अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम

रामरतन सागर

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20 31/12/2020

- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो होटे लाल कुशवाहा
- वर्तमान धारित पद मृत्य
- वर्तमान वेतन 29,700/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01/01/2022

(1) उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	7 संपत्ति से वार्षिक आय	8 अभ्युक्ति
31/12/2020 स्थिति में कोई भी अचल संपत्ति का क्या नहीं किया जाता।							

- * जहाँ जागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे भागों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

(टिप्पणी) : राज्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उनके अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

दिनांक 12.1.2021

हस्ताक्षर होटे लाल कुशवाहा
नाम होटे लाल कुशवाहा
पद मृत्य

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो
- वर्तमान धारित पद
- वर्तमान वेतन

लाल चन्द तिवारी
मुख्य
आगामी वेतनवृद्धि की तारीख
जुलाई वर्ष 2021

(1) उस जिले, उप-सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा व्योरे		(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	7 संपत्ति से वार्षिक आय	8 अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
श्री राम चन्द तिवारी सहायक जलेश्वर म. 23 कालार 205 मोयल	गृह	भूमि	30 लाख		स्वयं की कृपा से लोक से अर्जित किया गया		

- * जहाँ जागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन प्रददे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : राज्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उनके अर्जित अथवा उत्तर विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

लाल चन्द तिवारी

नाम

लाल चन्द तिवारी

पद

मुख्य

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो शिशिर मणि
2. वर्तमान धारित पद चौकीदार
3. वर्तमान वेतन 31500 + DA आगामी वेतनवृद्धि की तारीख माइ जून 2021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
मोठो 101-F अकलू भदर कोलाहल अकलू कोलाहल शिशिर मणि	गल	X	22000	X	एक के लच्छ एवम् ली. पी. ए. ए. एवम् ली. पी. ए. ए. के विषय		

- * जहाँ जागू न हो काट दीजिए।
- * * ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- * * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : माध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम

शिशिर मणि
चौकीदार

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2020-21

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो नरेन्द्रीक्षापट्टे, क्षेत्रीय कार्यालय, म. उ. छद्म नि. बोर्ड, ग्वाल्
2. वर्तमान धारित पद मृत्यु
3. वर्तमान वेतन 29700 + रा. भ. भत्ते आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 11/02/2021

(1) उस जिले का नाम जिसमें संपत्ति का नाम लिखा है	(2) संपत्ति का नाम तथा गृह तथा अन्य भू- मि	(3) ** वर्तमान मूल्य	(4) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	(5) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद या बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा पता	(6) संपत्ति से वार्षिक आय	(7) अधिक
ग्वाल्नियर	350 वर्ग फिट में निर्मित मकान	रूपये दस लाख पचास हजार	1700 की काबूलात की शिर्षक द्वारा की गई वैसिधत	पिताजी द्वारा अर्जित किया गया	निरंक	निरंक

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीपणिया- मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (आवृत्ति) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रथम नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात वह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनसे स्थायीता का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर
 नाम नरेन्द्रीक्षापट्टे
 पद मृत्यु

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2020-21

- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो शमेश्वर सहिवाल
- वर्तमान धारित पद चौकीदार
- वर्तमान वेतन 30,600+ ग्रेड आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जनवरी 21

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संगम, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		* * वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	आयुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
ग्राम बकमान देवी रोड-दुलपुर जिला-दुलपुर	अर्ध भूमि भवन	25X40 लाट	10000 3-लाट	स्वयं के नाम	उत्साह से ले CPF मोट 250, वेतन पन्त-	—	—
डोंरि भिंडी रोड गांव मुजार	लाट	12X30	3-50, लाट	पत्नी के नाम	ग्रह मित्र भेदक सहाय पसं 6 वे वेतन पन्त-	—	—

- जहाँ जागू न हो काट दीजिए।
- * * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- * * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

निर्माणी न्यायप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह अपने पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का संपत्ति अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम

शमेश्वर सहिवाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो मैनन पालीवाल, डी.जी.एम. काभारि (आर), ए.ए.ए. नि. कोड, इ.के.
2. वर्तमान धारित पद मृत्यु
3. वर्तमान वेतन मृत्यु आगामी वेतनवृद्धि की तारीख

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संभाग, तल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया*** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
03 भुमोरी दुब, अंगमि के पास इ. ए. आइ बजरंग नगर इंदौर वहसील, इंदौर जिला- इंदौर	गृह	—	ज्ञात नहीं	—	सेन्ट बैंक, इंदौर से गृह बचत (रुपये-20 लाख) लेकर उक्त भवन का निर्माण कराया गया।	—	भवन एक के नाम पर निश्चि पर ई.के. 2020 में कोड का संपत्ति का विवरण नहीं दिया गया।

*जहां लागू न हो काट दीजिए।

**ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

***इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1969 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसका अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम।

हस्ताक्षर मैनन पालीवाल

नाम मैनन पालीवाल
पद मृत्यु, डी.जी.एम. काभारि (आर)

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो
 2. वर्तमान धारित पद
 3. वर्तमान वेतन
- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख

अवधेश शर्मा - मुख्य
16/12/2021

(1) उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
जिला - अवधेश	F-522 शातावदी पुरा मकान बैंक में लोन पर				अवधेश शर्मा D.H.F.L. का बंधक चम्पकी में लोन पर बनवाया है		

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर
नाम
पद

अवधेश शर्मा - मुख्य
16/12/2021

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो..... आशाराम जावाल
2. वर्तमान धारित पद..... मुख्य
3. वर्तमान वेतन..... 270000 + क्युमिले आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/21

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संभाग, तल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया*** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
<u>मिण्ड</u>	<u>—</u>	<u>15 X 50</u> <u>घाट</u>	<u>450000/-</u>	<u>संयुक्त,</u> <u>(स्वयं एवं धर्म</u> <u>पॉल)</u>	<u>पी. एफ से निकाली एवं</u> <u>व्यक्तिगत खोन</u>	<u>निकले</u>	
<u>इन्दौर</u>	<u>गृह</u>	<u>—</u>	<u>150000/-</u>	<u>संयुक्त (स्वयं</u> <u>एवं धर्म पॉल)</u>	<u>पट्टा</u>	<u>निकले</u>	

*जहां लागू न हो काट दीजिए ।

**ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

***इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1969 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसका अपर्ने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम।

म. प्र. प्रदूषण

आवक क्रं. 702

दिनांक 16/02/21

इन्दौर

हस्ताक्षर आशाराम जावाल

नाम आशाराम जावाल

पद मुख्य

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो. उत्तम शर्मा
 2. वर्तमान धारित पद मेम
 3. वर्तमान वेतन 26600 + D.A. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01 जुलाई 2021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
IB-13 BPA अम्पलेक्स सी०सेक्टर शाहपुर कोषाळ	फ्लैट	—	14,00,000/- रुपये		वै.क. द्वारा कृपण प्राप्त कर अभ्युक्ति	—	—

- * जहाँ जागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी: राज्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर उत्तम शर्मा

नाम उत्तम शर्मा

फार्म
2020
अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो- श्री राजेश कुमार शर्मा, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहडोल
2. वर्तमान धारित पद- भृत्य
3. वर्तमान वेतन- बोर्ड के नियमानुसार समय-समय पर महंगाई एवं अन्य भत्ते। आगामी वेतनवृद्धि की तारीख- जुलाई, 2020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारियों से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
ग्राम व पोस्ट खरमसेड़ा (सुखूटोला) थाना-तहसील अमरपाटन, जिला सतना संभाग रीवा (म.प्र.)	ग्राम व पोस्ट खरमसेड़ा (सुखूटोला) थाना-तहसील अमरपाटन, जिला सतना संभाग रीवा (म.प्र.) में पैतृक भवन	लगभग 15 एकड़ डिसमिल	लगभग 50 लाख	पैतृक संपत्ति पिता के नाम	पैतृक संपत्ति	लगभग 2 लाख	निरंक
कलेण्डर वर्ष 2020 में मेरे द्वारा कोई भी अचल संपत्ति कय-विकय नहीं की गई है।							

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम।

हस्ताक्षर-

नाम- श्री राजेश कुमार शर्मा

पद- भृत्य

पंक्ति

श्री मान दीवीय अधिकारी महोदय
श्री. प्र. प्रमुख निष्ठा वीर सल्ला
(म.प्र.)



विषय - वर्ष 2020 में अर्जित अन्त्य कृषि संबंधी जानकारी के संबंध में।

संदर्भ - डी/आठ/आ.प्र. 203 5 दिनांक 15/2/21

महोदय,

अर्जित विषय में निवेदन है कि प्रेषित 588 वर्ष 2020 में अर्जित अन्त्य कृषि संबंधी जानकारी प्रो. कार्य में अन्तर्गत है।

प्रति
आज्ञा वक्ष
(अन्त)

श्री. प्र. प्रमुख निष्ठा वीर सल्ला
(म.प्र.)

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो रामा कान्हा देव
 2. वर्तमान धारित पद मुख्य
 3. वर्तमान वेतन 26600/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख फरवरी 2021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * *	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
① शाहपुरी देव देहा तहसील नरमनगाँव जिला सतना में स्थित	पक्की मकान	लकड़ियाँ	1 कठ	पिता जी के नाम	पैसा		
② — नल —	लकड़ियाँ		2.50 कठ	लकड़ियाँ एवं छोटे मकान	पिता जी के नाम	1 लाख रुपये वार्षिक	
③ शाहपुरी देव देहा तहसील नरमनगाँव जिला	—	लकड़ियाँ	2 कठ	पिता जी के नाम	पैसा		
④ ग्राम पंचायत कुरही गिरदुरी तहसील जिला		2500 कठ	1 कठ	पत्नी के नाम	अपनी कमाई		

- * जहाँ जागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : राज्यप्रदेश शासकीय सेवा (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा जहाँ तक अर्जित अथवा सरो विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हरताक्षर रामा कान्हा देव 19/12/20
 नाम
 पद मुख्य
म.प्र. मुख्यमंत्री कार्यालय

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20 20-2021-

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो रतन लाल कुमार खरेवा
2. वर्तमान धारित पद दफ्तरी
3. वर्तमान वेतन 32500/- BA आगामी वेतनवृद्धि की तारीख अगस्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		* * वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
भीमपाल	गृह	-	300000/-	स्वयं	अविद्य निधि द्वारा		

वहाँ जागू न हो काट दीजिए ।

(ए) मामल में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

निष्पत्ति: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वांगित्व का तथ्य प्रमाणित अथवा उसी विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम सन्तोष कुमार कश्यप

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो अयोध्या वाई
2. वर्तमान धारित पद कमल
3. वर्तमान वेतन 32600+DA आगामी वेतनवृद्धि की तारीख माह जुलाई 2021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
कुछ नहीं							

- * जहाँ जागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी: राज्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उनके नाम अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर अयोध्या वाई

नाम अयोध्या वाई

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

31/12/2020

- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो गंगा बहादुर गौड़
- वर्तमान धारित पद इंजिनियर
- वर्तमान वेतन 30,600/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01/01/2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * *	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि			खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा		
31/12/2020 को स्थिति में कोई भी अचल संपत्ति का हक नहीं लिया जाता।							

जहाँ जाभू न हो काट दीजिए।

- * * ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- * * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह अपने नाम पर पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उनके अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

दिनांक 12.1.2021

हस्ताक्षर गंगा बहादुर गौड़
नाम गंगा बहादुर गौड़
पद इंजिनियर

[illegible]

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो दशरथ सोलंका मध्य प्रदेश न्याय प्रणाली बोर्ड, जयलपुर
 2. वर्तमान धारित पद मुक्त
 3. वर्तमान वेतन 30600 + अन्य भत्ता आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8.
उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	<u>संपत्ति का नाम तथा बारे</u>		** वर्तमान मूल्य *	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यापार	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
/	/	/	/	निरंक	/	/	/

जहाँ जागू न हो काट दीजिए ।
ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये ।
इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं ।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसकी अर्जित अथवा उरो बिरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर प्रशान्त
नाम प्रशान्त शौहानी
पद माल्य

अथल संपत्ति का टिप्पण वर्ष 2029

30. Ethic and

20/11/2020

मंजु २५३५७ १०९ नोमि५८

(राम नाई जाशी w/o लीला धत नाशी)

Tailor 313 Sd

41221 वि. ए. (

भारत का मित्र

1. कमीत - कम 50 लाख

फूल कीटा (हान) रचना स्थिति

Digitized by Google

हरनाथः ।

Chlorine gas

10

210
220

फार्म
2017

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2013

- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो मी. सी. वा. प. र. र.
- वर्तमान धारित पद मे. ल.
- वर्तमान वेतन 30670 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख अक्टूबर 2021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप-सभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
ग्राम के. के. र. पट्टे. र. र. तह. ह. ग. म. ग. ग्रामा-मंडो. र. जो. र. र. (म. र.)	मी. र. र. र. के. र. र. र.	8 एकर	25,00,000 प. र. र. व. र. र.	पिता जी के नाम	पिता जी को मे. र. वा. र. र. र. र.	60000/-	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रखा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम

पद

फॉर्म
(अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2020)

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो- एस.एस.सैनी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयपुर, जिला-गुना
2. वर्तमान धारित पद -भृत्य.....
3. वर्तमान वेतनमान - 31500 +डी.ए. आगामी वेतन वृद्धि की तारीख - 01.07.2021

1	2	3	4	5	6	7	8
उस जिले, उपसंभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो।	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा गृह तथा अन्य भवन	भूमि	वर्तमान मूल्य **	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	इसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद "" पट्टा, बंध, विरासत, भेंट, या अन्य किसी प्रकार से, अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो, उसका नाम तथा ब्योरा ***	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
—	—	—	—	जानकारी पूर्वानुसार निरंक है।	—	—	—

* जहाँ लागू न हो कॉट दें।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी- म.प्र.शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम।

हस्ताक्षर - 

नाम - एस.एस.सैनी

पदनाम - भृत्य

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो सदेश स्थापक, म.प्र. पद्धति नियंत्रण बोर्ड, छिन्दवाड़ा
- वर्तमान धारित पद मुख्य
- वर्तमान वेतन 31500 + अन्य भत्ते आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

(1) उप जिले, उप सभाग, तहसीला तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे	(3) गृह तथा अन्य भवन	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
जिला दमोह	एक प्लॉट 25x40ft	—	4 लाख	स्वयं	LIC से भोज लेकर अर्जित किया गया	निरंक	—

- * जहाँ जागू न हो काट दीजिए।
- * * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- * * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उन्हें प्राप्त अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम

पद

सदेश स्थापक
मुख्य

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2020-2021

- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो केशव प्रसाद रजक म. उ. प्रो. प्र. वि. बो.
- वर्तमान धारित पद मूल्य
- वर्तमान वेतन मूल वेतन 32400 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 21

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अवयुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
					की रीना कोल में लोन लिया C P F लोन H D F C बैंक लोन मोमाल खासरी से लोन		

जहाँ जागू न हो काट दीजिए।

एसे मामल में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह अपनी पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का क्या क्या अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

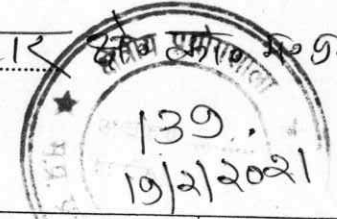
नाम

केशव प्रसाद रजक

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो अजुनी सिंह परिवार
2. वर्तमान धारित पद मह
3. वर्तमान वेतन २१७०० + ३१५० आगामी वेतनवृद्धि की तारीख १७/१२/२०२१



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संभाग, तल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया... खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
पट्टा, तल्लुका, ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
पट्टा, तल्लुका, ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	गृह	भूमि	१५५००००	४००००००	वैकल्य श्रमिक (अवधारी)		

*जहां लागू न हो काट दीजिए।

**ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

***इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1969 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर उसकी प्रस्तुत करें और उसके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसका अपन नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम।

हस्ताक्षर.....

नाम अजुनी सिंह परिवार

पद मह 16/12/2021

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2014 2020-21

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो विपिन लाली
2. वर्तमान धारित पद 214
3. वर्तमान वेतन 29,000/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख माह जुलाई 2021

(1) उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
				<u>निरंक</u> <u>पुनर्निर्माण</u>			

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर AL
 नाम विपिन लाली
 पद मार्ग
M. P. P. C. B. लाली
9221

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो बिबिसिंह ठाकुर, केन्द्रीय उपयोगिता मन्त्रालय के अधीन
 2. वर्तमान धारित पद फील्ड असिस्टेंट
 3. वर्तमान वेतन 29700/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01 जनवरी-2021

(1) उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	7 संपत्ति से वार्षिक आय	8 अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
① ग्राम पंचायत बलारपुर, तहसील जिला दमोह (म.प्र.)	दो मकान एक कुच्चा एक पक्का	लगभग 7 एकड़ जमीन	35 लाख अनुमानित	स्वयं	विरासत	लगभग 4 लाख	

- * जहाँ जागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उससे अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर बिबिसिंह ठाकुर

नाम बिबिसिंह ठाकुर

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2020

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम उस सेवा का नाम जिसमे वह हो – उपेन्द्र सिंह ,क्षेत्रीय कार्या.म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतना
- 2 वर्तमान धारित पद – भृत्य
- 3 .वर्तमान वेतन 31500 + डी.ए. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जनवरी – 2022

1	2	3	4	5	6	7	8
उस जिले, उप संभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
				शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा		
1.ग्राम सोनवर्षा(बेला) पोस्ट छिबौरा तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना (म.प्र.) 2.कृपालपुर नई वस्ती तहसील रघुराजनगर जिला सतना	कच्चा मकान	कृषि भूमि 25 डिसमिल	4 लॉख लगभग	स्वयं	पुस्तैनी	30 हजार लगभग	—
		9 एकड लगभग 1400 वर्गफिट	95 लॉख लगभग 9 लॉख लगभग	स्वयं एवं भाईयो के नाम पत्नी के नाम	पुस्तैनी	1.50 लॉख लगभग	—
					खरीद पट्टा स्वयं के वेतन वचत एवं कृषि आय से वर्ष 2001 में क्रय किया गया	—	—
							—

3.नारायण तालाव के पास उतैली तहसील रघुराज नगर जिला सतना (म.प्र.)	पक्का मकान प्रथम एवं द्वितीय तल	1032 वर्गफिट	लगभग 40 लॉख	पत्नी के नाम	खरीद पट्टा वेतन वचत तथा बैंक से पर्सनल लोन लेकर एवं पी.एफ पार्ट फन्ड राशि से वर्ष 2011 -2012 में बनाया गया ।		
---	---------------------------------	--------------	-------------	--------------	--	--	--

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही - सही निर्धारण करना संभव न हो वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये ।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल है ।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम ।

हस्ताक्षर 
नाम :- उपेन्द्र सिंह
पद :- भृत्य
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतना

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सतना (म.प्र.)



विषय :- वर्ष 2020 में अर्जित अचल सम्पत्ति संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने बावत् ।

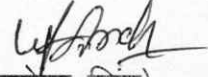
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 2035 दिनांक 15.02.2021 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में वर्ष 2020 में अर्जित अचल सम्पत्ति का विवरण संलग्न प्रपत्र में भरकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

दिनांक 18.02.2021 ।


(उपेन्द्र सिंह)

भृत्य
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सतना (म.प्र.)

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो जगजीवन प्रसाद पाण्डेय
2. वर्तमान धारित पद दफ्तरी
3. वर्तमान वेतन 36300 + DA. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2021

(1) उस जिले, उप संभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		(3) * * वर्तमान मूल्य	(4) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(5) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(6) 7 संपत्ति से वार्षिक आय	(7) 8 अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

- * जहाँ जागू न हो काट दीजिए।
- * * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- * * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : राज्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर S. P. Pandey

नाम जगजीवन प्रसाद पाण्डेय

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो रामनरेश सेन - क्षेत्रीय मंत्रालय - प्र. नि. व. १६ डील (म.प्र.)
2. वर्तमान धारित पद दफ्तरी
3. वर्तमान वेतन 34400 + भत्ता आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 31/07/2021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
ग्राम पंच० अरगठ तह० रामनगर जिल० सतना (म०प्र०)	पुराना कच्चा व पक्का मकान	1.13 रुब्ड आवासीय व कृषि भूमि	07 लाख लगभग	स्वयं के नाम है।	स्वा० श्री मान पिता जी से विरासत नामांतरण	40,000 = चालिस हजार लगभग	—
— तैवेव — /	—	80 रुडि० आवासीय व कृषि भूमि	03 लाख लगभग	सभी भाइयों के साझा में 1/5 का हिस्सा /	— तैवेव —	25,000 = पच्चीस हजार लगभग /	

- * जहाँ जागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : राज्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का सेवा अवधि में अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर 20/01/2021
नाम आर.एन. सेन (दफ्तरी)

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो अशोक कुमार श्रीवास्तव डी.आर.प्र.नि.के.महाल
 2. वर्तमान धारित पद कर्मचारी
 3. वर्तमान वेतन 36300 + 4356 = 40656 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 2022-1

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
X	X	X	X	X	X	X	X	X

जहाँ जागू न हो काट दोजिए।

ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : राज्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर अशोक कुमार श्रीवास्तव
 नाम अशोक कुमार श्रीवास्तव

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20-21

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो शमसिया लता म.प्र. प्राध्यापन नियंत्रण बोर्ड सागर
 2. वर्तमान धारित पद इंफोर्मेशन ऑफिसर
 3. वर्तमान वेतन 31500 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख अन्य नहीं

(1) उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		(3) ** वर्तमान मूल्य	(4) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(5) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरे	(6) संपत्ति से वार्षिक आय	(7) अन्य
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
① सागर तहसिल ग्राम हेरिया गढ़गढ़	भवन	लगभग ३०६.००० लाख	लगभग ३०६.००० लाख	श्रीमती सुनीता वती पत्नी	① मे० श्रृंग कंसद्रकशन के० सागर लुई कराया गया है ३ अप्रैल २०१२ में पंजीशन ले लिया है।		
② सागर तहसिल ग्राम जेहेरिया गढ़गढ़	प्लॉट २०४ ५६० फिट		लगभग ३०३.५० लाख	" "	② मे० श्रृंग कंसद्रकशन के० सागर CPF / श्री सायरी, ४७९ सेलोन लेकर वर्ष २०१०-२०११ में मे० क्रेम किया गया।		

जहाँ जागू न हो काट दीजिए।

एरो मामल में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना समभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह पहली निपुणता के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

15.2.2021

नाम

शमसिया लता

म.प्र. प्राध्यापन नियंत्रण बोर्ड सागर

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो
2. वर्तमान धारित पद
3. वर्तमान वेतन

33400 + 3000

आगामी वेतनवृद्धि की तारीख

1. जुलाई

पुस - डार. अजमेरी (शे. कार्य. इन्दौर)

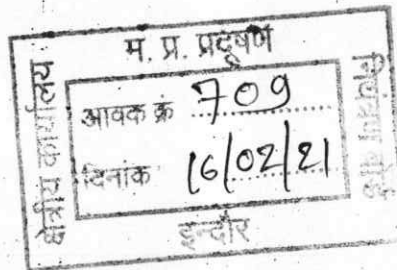
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संभाग, तल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया... खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
जिला पुस संभाग उज्जैन राम देविया	कमरा		सात कोठे	स्वयं के नाम	श्री राम फर्निचर द्वारा कोन पर खरीदी गई वर्ष 2016	-Nil-	

*जहां लागू न हो काट दीजिए।

**ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

***इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल है।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1969 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसका अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम।



हस्ताक्षर

नाम

पद

पुस - डार. अजमेरी

दफ्तरी

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो राजेश्वर राव, म.प्र. ग्राम निम्नलिखित जयपुर
2. वर्तमान धारित पद दफ्तरी
3. वर्तमान वेतन अ.प्र. 10000 रु. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई

(1) उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	7 संपत्ति से वार्षिक आय	8 अभ्युक्ति
निर्णय							

- * जहाँ जागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : राज्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

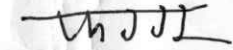
(Signature)

हस्ताक्षर Rajeshwar

नाम राजेश्वर राव

पद दफ्तरी

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम ।



हस्ताक्षर

नाम :- फगू काछी,

पद :- दफ्तरी

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2021

- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो रिक्काराम पाण्डेय
- वर्तमान धारित पद दाफतरी
- वर्तमान वेतन 33400+DA आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2021

(1) उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	7 संपत्ति से वार्षिक आय	8 अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन							
नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

- * जहाँ जागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर रिक्काराम पाण्डेय

नाम रिक्काराम पाण्डेय

फार्म
2017
अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2013

- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह है जय प्रकाश नाशापन मिश्रा
- वर्तमान धारित पद यूपीडीओ
- वर्तमान वेतन 306000 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 21

(1) उस जिले, उप-संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
<u>श्रीमती प्रिया कुमारी</u> <u>पिछाई कुमारी</u> <u>(मा. कु.)</u>	<u>पुश्पिनी</u>	<u>5 एकाड़</u>	<u>5 लाख</u>	<u>स्वयं के नाम पर</u> <u>पिता से प्राप्त</u>	<u>पिता से प्राप्त</u>	<u>60000 रु.</u>	<u>स्वयं</u>

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रखा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर जय प्रकाश नाशापन मिश्रा
नाम जय प्रकाश नाशापन मिश्रा
पद यूपीडीओ

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2020

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम उस सेवा का नाम जिसमे वह हो – रामनरेश सिंह ,क्षेत्रीय कार्या.म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतना
- 2 वर्तमान धारित पद – दफ्तरी
- 3 .वर्तमान वेतन 32400 + डी.ए. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई – 2021

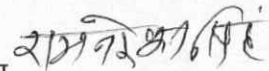
1	2	3	4	5	6	7	8
उस जिले, उप संभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन						
1.ग्राम सोनवर्षा पोस्ट छिबौरा तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना (म.प्र.)	कच्चा मकान 3 कमरा एवं पक्का 1 कमरा	कृषि भूमि 80 डिसमिल 9 एकड	5 लॉख लगभग 50 लॉख	समलित स्वयं एवं भाईयो के नाम	खरीद पट्टा पुस्तैनी	— 1 लॉख	— —
2.हवाई पट्टी के पास उतैली तहसील रघुराज नगर जिला सतना (म.प्र.)	पक्का मकान 12 कमरा	2520 वर्गफिट	लगभग 50 लॉख	पत्नी के नाम	खरीद पट्टा	60 हजार	— —

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही — सही निर्धारण करना संभव न हो वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये ।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल है ।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम ।

हस्ताक्षर 
नाम :- रामनरेश सिंह
पद :- दफ्तरी
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतना

प्रति,

✓ क्षेत्रीय अधिकारी महोदय
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सतना (म.प्र.)



विषय :- वर्ष 2020 में अर्जित अचल सम्पत्ति संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने बावत् ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 2035 दिनांक 15.02.2021 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में वर्ष 2020 में अर्जित अचल सम्पत्ति का विवरण संलग्न प्रपत्र में भरकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

दिनांक 18.02.2021 ।

रामनरेश सिंह

(रामनरेश सिंह)

दफ्तरी

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सतना (म.प्र.)

क्षेत्रीय अधिकारी/प्रयो.शा. प्रभारी/मुख्य रसा.
वैज्ञानिक/सहा. यंत्री/कनि. वैज्ञानिक/
तकनीकी/रसायनज्ञ I,II,III/प्रयो. सहा.
प्रयो. परि./लेखन/स्थापना/जल उपकर/
जैव अपशिष्ट/खतरनाक/बैटरी/प्लास्टिक/
लीगल/एम.एस. डब्ल्यू.

समय सीमा.....दिन
कृपया प्रति उत्तर/प्रस्तुती समय सीमा में करें

(क्षेत्रीय अधिकारी)

फॉर्म
(अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2020)

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो-विनोद कुमार सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयपुर, जिला-गुना
2. वर्तमान धारित पद -दफ्तरी.....
3. वर्तमान वेतनमान - 31500 +डी.ए. आगामी वेतन वृद्धि की तारीख - 01.07.2021

1	2	3	4	5	6	7	8
उस जिले, उपसंभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो।	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरा गृह तथा अन्य भवन	भूमि	वर्तमान मूल्य **	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	इसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद "" पट्टा, बंध, विरासत, भेंट, या अन्य किसी प्रकार से, अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो, उसका नाम तथा ब्यौरा ***	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
2020 में अर्जित अचल सम्पत्ति संबंधी जानकारी निरंक है।							
भदरौली रेलवे स्टेशन के पास जिला-ग्वालियर,	—	प्लॉट	ज्ञात नहीं	श्रीमति संगीता सविता (पत्नि)	बैंक से लोन एवं स्वयं/पुत्र के बचत राशि से कय किया।	निरंक	—

* जहाँ लागू न हो कॉट दें।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल है।

टिप्पणी— म.प्र.शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम।

हस्ताक्षर

नाम - विनोद कुमार सविता

पदनाम - दफ्तरी

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2020



1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम उस सेवा का नाम जिसमें वह हो – फग्गू काछी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतना
2. वर्तमान धारित पद – दफ्तरी
3. वर्तमान वेतन 34400.00 + डी.ए. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई – 2021

1	2	3	4	5	6	7	8
उस जिले, उप संभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन						
ग्राम भैहाई, पोस्ट सिंहपुर, तहसील नागौद जिला सतना (म.प्र.)	मकान 06 कमरे पक्का	कृषि भूमि लगभग 1.50 एकड़ मोटर साइकिल	12.50 लॉख लगभग 30 हजार लगभग	स्वयं स्वयं	पैत्रिक स्वयं के बेतन से	40 हजार लगभग	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही – सही निर्धारण करना संभव न हो वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये ।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल है ।

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो कोमल प्रसाद दुगाना
2. वर्तमान धारित पद एफएलसी
3. वर्तमान वेतन 33400/- DA आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

(1) उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उससे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	7 संपत्ति से वार्षिक आय	8 अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
ग्राम-बलार तहसील- चिंता-मोपल	गृह	—	40 लाख	—	स्वयं की वचन लिखी हुई निर्माणा वेक रिग में आर्जित किया गया	—	—

जहाँ जागू न हो काट दीजिए।

* * * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : राज्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर कोमल प्रसाद दुगाना
नाम कोमल प्रसाद दुगाना

(2020=2021)

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2014

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो हरी सिंह ठाकुर (दफ्तरी)
 2. वर्तमान धारित पद दफ्तरी
 3. वर्तमान वेतन 31500 + डीए आगामी वेतनवृद्धि की तारीख

(1) उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्यारे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
निरंक	—	—	—	निरंक	निरंक	—	—

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम

पद

म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम